

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 387 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 जुलाई 2015— आषाढ 30, शक 1937

परिवहन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-10/आठ-परि./2015. — छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991) में और संशोधन कर निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (कक्ष क्र. एस4-3) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में :-

एक. (क) मद (चार) के उप-मद (घ) के खण्ड (1) के उप-खण्ड (अ) में, -  
बिंदु (ठ) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

“टीप : बिंदु (ज), (ट) एवं (ठ) के प्रयोजन हेतु 60 से अधिक बैठक क्षमता वाले वाहनों पर, 60 से अधिक प्रत्येक सीट हेतु मासिक कर की गणना, विद्यमान 60 सीट हेतु कर की मासिक दर के आनुपातिक होगी.”



- (ख) मद (चार) के उप-मद (घ) के खण्ड (1) के उप-खण्ड (ब) में,-  
बिंदु (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-  
“टीप: बिंदु (झ), (ञ) एवं (ट) के प्रयोजन हेतु 60 से अधिक बैठक क्षमता वाले वाहनों पर, 60 से अधिक प्रत्येक सीट हेतु मासिक कर की गणना, विद्यमान 60 सीट हेतु कर की मासिक दर के आनुपातिक होगी.”
- (ग) मद (चार) के उप-मद (घ) के खण्ड (1) के उप-खण्ड (ग) में,-  
बिंदु (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-  
“टीप: बिंदु (झ), (ञ) एवं (ट) के प्रयोजन हेतु 60 से अधिक बैठक क्षमता वाले वाहनों पर, 60 से अधिक प्रत्येक सीट हेतु मासिक कर की गणना, विद्यमान 60 सीट हेतु कर की मासिक दर के आनुपातिक होगी.”
- दो. (क) मद (चार) के उप-मद (घ) के खण्ड (2) के उप-खण्ड (अ) में,-  
बिंदु (त) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-  
“टीप: बिंदु (ड), (ढ), (ण) एवं (त) के प्रयोजन हेतु 60 से अधिक बैठक क्षमता वाले वाहनों पर, 60 से अधिक प्रत्येक सीट हेतु मासिक कर की गणना, विद्यमान 60 सीट हेतु कर की मासिक दर के आनुपातिक होगी.”
- (ख) मद (चार) के उप-मद (घ) के खण्ड (2) के उप-खण्ड (ब) में,-  
बिंदु (त) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-  
“टीप: बिंदु (ठ), (ड), (ढ) एवं (ण) के प्रयोजन हेतु 60 से अधिक बैठक क्षमता वाले वाहनों पर, 60 से अधिक प्रत्येक सीट हेतु मासिक कर की गणना, विद्यमान 60 सीट हेतु कर की मासिक दर के आनुपातिक होगी.”
- (ग) मद (चार) के उप-मद (घ) के खण्ड (2) के उप-खण्ड (ग) में,-  
बिंदु (त) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-  
“टीप: बिंदु (ठ), (ड), (ढ) एवं (ण) के प्रयोजन हेतु 60 से अधिक बैठक क्षमता वाले वाहनों पर, 60 से अधिक प्रत्येक सीट हेतु मासिक कर की गणना, विद्यमान 60 सीट हेतु कर की मासिक दर के आनुपातिक होगी.”
- तीन. मद (चार) के उप-मद (क) में, शब्द, अंक एवं चिन्ह “रु. 85/-प्रति तिमाही” के स्थान पर, शब्द, अंक एवं चिन्ह “रु. 100/- प्रति तिमाही” प्रतिस्थापित किया जाये.
- उक्त अधिनियम के द्वितीय अनुसूची के भाग-एक में,-
- एक. मद (1) के कॉलम (2) में, शब्द, अंक एवं चिन्ह “यान की कीमत का 5%” के स्थान पर, शब्द, अंक एवं चिन्ह “यान की कीमत का 7%” प्रतिस्थापित किया जाये.
- दो. मद (2) के उप-मद (क) एवं (ख) के कॉलम (2) में,-
- (क) शब्द, अंक एवं चिन्ह “यान की कीमत का 6%” के स्थान पर, शब्द, अंक एवं चिन्ह “यान की कीमत का 8%” प्रतिस्थापित किया जाये.
- (ख) शब्द, अंक एवं चिन्ह “यान की कीमत का 7%” के स्थान पर, शब्द, अंक एवं चिन्ह “यान की कीमत का 9%” प्रतिस्थापित किया जाये.
- तीन. मद (5) के कॉलम (2) में, शब्द, अंक एवं चिन्ह “यान की कीमत का 7%” के स्थान पर, शब्द, अंक एवं चिन्ह “यान की कीमत का 9%” प्रतिस्थापित किया जाये.



No. F 5-10/viii-Trans/2015.— The following further draft amendment in the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 23 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), is hereby published as required by sub-section (1) of Section 23 of the said Adhiniyam for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that said draft shall be taken into consideration after the expiry of ten days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestions regarding the said draft received from any person before the specified period, in office hours in office of the Principal Secretary, Government of Chhattisgarh, Department of Transport, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur (Room No. S4-3) shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

#### DRAFT AMENDMENT

In First Schedule of the said Act :-

- I. (a) In sub-clause (A) of clause (1) of sub-item (d) of item (IV),-  
After point (l), the following shall be added, namely :-  
  
“Note : For the purpose of entries (j), (k) and (l) the vehicles with seating capacity of more than 60, the monthly tax, for each seat exceeding 60, shall be calculated proportionately on the monthly rate of tax for existing 60 seats.”
- (b) In sub-clause (B) of clause (1) of sub-item (d) of item (IV),-  
After point (k), the following shall be added, namely :-  
  
“Note : For the purpose of entries (i), (j) and (k) the vehicles with seating capacity of more than 60, the monthly tax, for each seat exceeding 60, shall be calculated proportionately on the monthly rate of tax for existing 60 seats.”
- (c) In sub-clause (C) of clause (1) of sub-item (d) of item (IV),-  
After point (k), the following shall be added, namely :-  
  
“Note : For the purpose of entries (i), (j) and (k) the vehicles with seating capacity of more than 60, the monthly tax, for each seat exceeding 60, shall be calculated proportionately on the monthly rate of tax for existing 60 seats.”
- II. (a) In sub-clause (A) of clause (2) of sub-item (d) of item (IV),-  
After point (p), the following shall be added, namely :-  
  
“Note : For the purpose of entries (m), (n), (o) and (p), the vehicles with seating capacity of more than 60, the monthly tax, for each seat exceeding 60, shall be calculated proportionately on the monthly rate of tax for existing 60 seats.”
- (b) In sub-clause (B) of clause (2) of sub-item (d) of item (IV),-  
After point (o), the following shall be added, namely :-  
  
“Note : For the purpose of entries (l), (m), (n) and (o), the vehicles with seating capacity of more than 60, the monthly tax, for each seat exceeding 60, shall be calculated proportionately on the monthly rate of tax for existing 60 seats.”
- (c) In sub-clause (C) of clause (2) of sub-item (d) of item (IV),-  
After point (o), the following shall be added, namely :-  
  
“Note : For the purpose of entries (l), (m), (n) and (o), the vehicles with seating capacity of more than 60, the monthly tax, for each seat exceeding 60, shall be calculated proportionately on the monthly rate of tax for existing 60 seats.”



- III. In sub-item (a) of item (V), for the figure, symbol and words "Rs. 85/- per quarter", the figure, symbol and words "Rs. 100/- per quarter" shall be substituted.

In Part-I of the Second Schedule of the said Act,-

- I. In column (2) of item (1), for the figure, symbol and words "5% of the cost of the vehicle", the figure, symbol and words "7% of the cost of the vehicle" shall be substituted.
- II. In column (2) of sub-item (a) and (b) of item (2),-
- (a) for the figure, symbol and words "6% of the cost of the vehicle", the figure, symbol and words "8% of the cost of the vehicle" shall be substituted.
- (b) for the figure, symbol and words "7% of the cost of the vehicle", the figure, symbol and words "9% of the cost of the vehicle" shall be substituted.
- III. In column (2) of item (5), for the figure, symbol and words "7% of the cost of the vehicle", the figure, symbol and words "9% of the cost of the vehicle" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. के. टोप्पो, संयुक्त सचिव.